संख्या– 33/2020/659/छप्पन-2020-07/2018

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 05 मई, 2020

विषय: आर0सी0एस0 एयरपोर्ट्स (आगरा एवं कानपुर)पर सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्या-832/ना0उ0नि0/ 2020 दिनांक 16 अप्रैल, 2020 तथा पत्र संख्या-833/ना0उ0नि0/2020 दिनांक 16 अप्रैल, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आर0सी0एस0 एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा सेवाओं एवं अग्निशमन सेवाओं हेतु दिसम्बर, 2019 से माह जनवरी, 2020 तक की अवधि हेतु आर0सी0एस0 एयरपोर्ट आगरा हेतु रू0 91,46,437/- तथा कानपुर एयरपोर्ट हेतु रू0 1,05,38,276/- अर्थात् कुल धनराशि रू0 1,96,84,713/- का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किए जाने हेतु उक्त धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के प्रस्तर- 4.2.2(c) के प्राविधान के अनुसार आर0सी0एस0 हवाईअड्डों पर सुरक्षा तथा अग्निशमन सम्बन्धी सेवायें राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जानी हैं |

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावानुसार एम0ओ0यू0 के प्राविधानों के अनुरूप आर0सी0एस0 स्कीम के अन्तर्गत चयनित आगरा एयरपोर्ट एवं कानपुर एयरपोर्ट हेतु निम्न विवरणानुसार क्रमश: रु0 91,46,437/- (रुपया इक्यानवे लाख छियालीस हजार चार सौ सैंतीस मात्र) तथा रू0 1,05,38,276/- (रूपया एक करोड़ पांच लाख अड़तीस हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू0 1,96,84,713/- (रूपए एक करोड़ छियानवे लाख चौरासी हजार सात सौ तेरह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रू0 1,96,84,713/- (रूपए एक करोड़ छियानवे लाख चौरासी हजार सात सौ तेरह मात्र) को व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, आगरा/ कानपुर का सन्दर्भ	दिनांक	विषय	प्रस्तावित धनराशि (रूपए में)	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रूपए में)
1.	AAI/NR/AGRA/RCS/2018/50-60	02.03.2020	सुरक्षा सेवाओं तथा सुरक्षा उपकरणों के Hiring Charges	91,46,437/-	91,46,437/-

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.	AAI/KP/154/RCS/ 2020/52-54	27.02.2020	सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं तथा सुरक्षा उपकरणों के Hiring Charges	1,05,38,276/-	1,05,38,276/-
			योग	**1,96,84,713/-**	**1,96,84,713/-**

I. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

II. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

III. स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

IV. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

V. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा लेखाशीर्षक "3053-नागर विमानन-01 हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-7-463/दस-2020, दिनांक 27 अप्रैल, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

पृ0सं0: 33/2020/659(1)/छप्पन-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- जिलाधिकारी, आगरा/कानपुर।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।